सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2025/41 दर्ज तिथिः–01.07.2025

1. मंगल सिंह पुत्र हनुमाना राम जाति मेघवाल निवासी लादड़िया जिला चूरू (राज.)

................अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चूरू व जिला चूरू।

..................रेस्पोडेन्टान

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलान्ट :– श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट :– पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–11.11.2025

1. यह कि आदेश जेर अपील दिनांक 06.06.2025 जिसके द्वारा बेचान नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1245/1039/0.5051 हैक्ट. वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू के खातेदार सुनिल कुमार पुत्र बाबुलाल मेघवाल निवासी बिसाऊ से उक्त रकबा में से 0.1705 हैक्ट. रकबा खरीद किया था। जो जरिये बैनामा दिनांक 03.04.2025 को उप पंजीयन चूरू के यहां बैनामा पंजीकृत करवाया गया था।
2. प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा खेत खसरा संख्या 1243/1039 रोही मोजा रामसरा में खरीदशुदा अपना रकबा 0.1705 हैक्ट. का बैनामा जिसमें रकबा का अन्तरण हुआ था कि प्रति प्राप्त कर इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 23.04.2025 को आवेदन वास्ते दर्ज करने इन्तकाल तहसीलदार चूरू को ऑनलाईन मय विधिवत नकल बैनामा आदि संलग्न कर प्रस्तुत कर दिया था जो इन्तकाल विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खांसोली को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मुताबिक बैनामा इन्तकाल दर्ज करना था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर तथ्यों का विवेचन किये पत्रावली का बगैर परिशीलन किये पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

3. प्रार्थी को इन्तकाल आवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल दर्ज किया जाना था जो बैनामा व प्रार्थना–पत्र देखे बगैर इन्तकाल निरस्त कर तथ्यों व विधि की भारी भूल की है इस कारण भी जैर अपील आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
4. प्रार्थी अपीलान्ट को दिनांक 06.06.2025 को ग्राम पंचायत खांसोली की मिटिंग में इन्तकाल निरस्त करने का दिनांक 21.06.2025 को नकल इन्तकाल लेने से जैर अपील आदेश इन्तकाल निरस्ती का ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में सम्पर्क करने पर ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों की भूल होना जाहिर किया व श्रीमान् के यहां अपील करने के बगैर इन्तकाल दर्ज करने की इनकारी से वाद हेतु अपील का आधार प्राप्त हुआ था। अपीलान्ट बैनामा धारक होने से अपील प्रस्तुती का अधिकार रखता है तथा जैर अपील आदेश ग्राम पंचायत खांसोली का होने से अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालतवाला को हासिल है तथा अपील अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि जैर अपील आदेश दिनांक 06.06.2025 इन्तकाल संख्या 2403 ग्राम पंचायत खांसोली को अपास्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत बैनामा दिनांक 03.04.2025 खसरा नं. 1243/1039 रोही मोजा रामसरा के मुताबिक बैनामा रकबा 0. 1705 हैक्ट. का इन्तकाल अपीलान्ट दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। अन्य अनुतोष हितकर अपीलान्ट हो या हो वो भी प्रदान किया जावे।

5. प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये जिस पर विधिवत तामील के बावजूद रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई।
6. वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बैठक दिनांक 06.06.2025 ग्राम पंचायत खासोली द्वारा अस्वीकृत किया गया। ग्राम पंचायत मीटिंग अस्वीकृत किया गया। कृषि भूमि खेत खेत खसरा संख्या 1243/1039 रोही मोजा रामसरा में खरीदशुदा अपना रकबा 0.1705 हैक्ट. तहसील व जिला चूरू को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.04.2025 को प्रतिकूल राशि अदा कर जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय की गई हैं, जिसका पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय चूरू में दर्ज करवाया गया था, इसलिए क्रय की गई भूमि में अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु विधिनुरूप किया जाना आवश्यक था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध बिना किसी कारण खारिज कर दिया गया है। अतः पंजीकृत विक्रय–पत्र के अनुसार नामान्तरकरण से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।
7. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलार्थियों द्वारा यह अपील इस आधार पर दायर की गई कि ग्राम पंचायत खासोली की बैठक दिनांक 06.06. 2025 द्वारा नामान्तरण क्रमांक 2403 दिनांक 23.05.2025 को बिना किसी विधिक कारण के खारिज किया गया। ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1243/1039 तादादी 0.5058 हैक्ट. में से 0.1705 हैक्ट. वाके ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू का विक्रय [illegible] के वास्ते जांच व आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बि[illegible]रण दिनांक 06.06.2025 को ग्राम पंचायत बैठक में अस्वीकृत किया गया [illegible] करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मंगल सिंह बनाम ग्राम पंचायत खासोली आदि
2025/41
निर्णय दिनांक:-11.11.2025

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतरकरण क्रमांक 2403 दिनांक 23.05.2025 पर ग्राम पंचायत खासोली की दिनांक-06.06.2025 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 पर ग्राम पंचायत खासोली की दिनांक-06.06.2025 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested